हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
29.12.23 पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश हुई। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 13 की बहस है कि प्रतिवादीगण की ग्राम नगर में खेत खसरा नम्बर 728/873 रकबा 0–2428 हैक्टेयर की गे.मु. आवासी भूमि को वादीनीगण की विवादित आराजी बता कर खातेदारी घोषणा का वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया है, जबकि श्रीमान के न्यायालय को कृषि भूमि में ही खातेदारी घोषणा का वाद सुनने के अधिकार प्राप्त हैं। गैर कृषि भूमि एवं आवासीय उपयोग की भूमियों के सम्बन्ध में प्रकरणों के सुनवाई के अधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त हैं। वादीनीगण तरविती पक्षकार हैं तरबिती पक्षकार को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है यदि कोई तृतीय पक्षकार किसी कृषि भूमि के सम्बन्ध में दावा करते हैं तो सबसे पहले उत्तराधिकारी घोषित होना आवश्यक है, उत्तराधिकारी घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार भी सिविल न्यायालय को प्राप्त है। विवादित आराजी गैर मुमकिन आवासी एवं गैर खातेदारी भूमि है तथा पक्के निर्माण किये हुए हैं अतः विवादित आराजी आवासीय भूमि होने से श्रीमान के न्यायालय क्षेत्राधिकार का नहीं होने व विधि विरूद्ध होने से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीनीगण का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के वकील की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादीनीगण अनुसूचित जन जाति (एस.टी) वर्ग जाति से भील है तथा हिन्दू विधि से शासित न होकर अपने कुटम्ब कबीले की पृथा रूढी एवं परम्पराओं से शासित हैं। वादीनीगण स्व0 केसा पुत्र खुमा की जायन्दा पुत्रियां व पौतियां है। वादीनीगण के पिता स्व0 केसाराम की खातेदारी कृषि भूमि का खेत ग्राम नगर में खेत खसरा नम्बर 728/48 रकबा 15–00 बीघा का आया हुआ था। वादीनी के भाई लिखमा का देहान्त अपने पिता के जीवन काल में हो गया था, स्व0 लिखमाराम का पुत्र बुधाराम है जो वादीनीगण के पिता स्व0 केसाराम का पौत्र है, इस प्रकार स्व0 केसाराम के जीवन के अन्तिम समय में चार वारिसान एक पुत्र दो पुत्रियां व एक पोता था। वादीनीगण के पिता इस्वी सन 2004 में अपनी वृद्धावस्था के कारण बीमार हो गये जिसकी जानकारी वादीनीगण को होने पर वादीनीगण उनकी सेवा करने अपने मायके पहुंच गई, वादीनीगण के पिता ने अन्तिम समय में अपने स्वस्थचित पूर्ण होश हवास में अपनी आखरी इच्छा अपने परिवार वारिसान तथा कुटम्बजनों की उपस्थिति में प्रकट की कि उसकी खातेदारी भूमि को उनके देहान्त पश्चात चारों वारिसान पुत्र–पुत्रियों व पौत्र को समान हिस्से में प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा बराबर–बराबर खातेदारी में दे दिया जावे। वादीगण के पिता बीमार होने से फौत हो गये और वादीनी उनके देहान्त के बाद सामाजिक धार्मिक किया कलापों से निवृत होकर अपने ससुराल जाने से पूर्व अपने भाई भतीज को अपने पिता की अंतिम इच्छा अनुसार चारों वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करवाने का कह गई तथा भाई व भतीय ने इसकी सहमति दी। परन्तु प्रार्थीनीगण के भाई मांगाराम जिसका अब देहान्त हो चुका है ने राजस्व कार्मिकों से मिलकर	

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

वादीनीगण के पिता की अन्तिम इच्छा के विपरीत पिता केसाराम ने नामान्तकरण संख्या 514 अपने व अपने पूर्व मृत भाई लिखमा के पुत्र बुधा भरवाकर ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा दिया। इसके पश्चात दोनों ने मिलकर हिस्सों के साथ–साथ वादीनीगण के हिस्से की भूमि का भी बेचान कर वादीनीगण उनके पैतृक हकों से महरूम कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर वादीनीगण ने अपने पैतृक हकों की घोषणा का वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया है। पैतृक हकों की घोषणा का वाद श्रीमान के न्यायालय में अर्थात राजस्व न्यायालय में पेश किया जाता है। इस प्रकार वादीनी का वाद पत्र किसी भी विधि से वर्जित नहीं है। आगे कथन किया कि : आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत निम्नांकित दशाओं में ही वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता हैं:–

1. कि जहां वादकरण प्रकट नहीं करता है।
2. जहां दावा अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर कुछ समय भीतर जो न्यायालय ने निहित किया है ऐसा करने में असफल रहा है।
3. जहां दावा कृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अप्रर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय में निहित किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।
6. जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन में असमर्थ रहता है।

वाद पत्र खरिज किये जाने के लिये उपरोक्तानुसार अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निर्धारित बिन्दुओं में से किसी भी बिन्दु से वादीनीगण का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य नहीं है। वादीनीगण अपनी पैतृक आराजी में अपने खातेदारी हकों की घोषणा कराने की अधिकारिणी है, एवं खातेदारी घोषणा वाद श्रीमान के न्यायालय व श्रवणाधिकार क्षेत्र का होने से वादीनीगण का वाद पत्र किसी भी विधि से वर्जित नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से प्रस्तुत पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी वादीनीगण के वाद पत्र पर लागू नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन करने, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि वादीनीगण स्व0 केसा पुत्र खुमाराम की पुत्रियां है, वादीनीगण की शादी अपने पिता स्व0 केसा के जीवन काल में ही हो चुकी थी तथा वादीनीगण के पिता का स्वर्गवास वर्ष 2004 में हुआ। वादीनीगण के पिता के स्वर्गवास होने पर वादीनीगण के पिता की उक्त विवादित आराजी का नामान्तकरण वादीनीगण के सगे भाई मांगाराम व भतीजा बधा के नाम पारित किया गया। उक्त विवादित सम्पूर्ण आराजी का मांगाराम व बधाराम द्वारा बेचान किये जाने से वर्तमान में प्रतिवादीगण उक्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं। अलावा इसके उक्त विवादित आराजी वर्तमान में गैर मुमकिन आवासीय राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व न्यायालय को कृषि भूमि के वाद पत्रों को सुनने के ही अधिकार प्राप्त हैं।

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

दे वानीदीगण को गैर कृषि भूमि में हक–हिस्सों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करना है तो सिविल न्यायालय से ही प्राप्त किया जा सकता है। अलावा इसके वादीनीगण ने 2004 की स्थिति को 19 वर्षों के बाद, आवासीय भूमि में हकों की घोषणा के लिये राजस्व न्यायालय में चुनौती दी है जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से वादीनीगण का वाद पत्र इस न्यायालय क्षेत्राधिकार का नहीं होने से विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार वादीनी का वाद वादकारण भी प्रकट नहीं करता है तथा आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र खारिज किये जाने के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार "जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है' के अनुसार वादीनीगण का वाद पत्र में कहे गये कथनों से एवं आवासीय भूमि में हकों की घोषणा के अनुतोष के कथनों से वादीनीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीनीगण का वाद पत्र उपरोक्त विवेचन के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने तथा न्यायालय क्षेत्राधिकार का नहीं होने से वाद वादीनीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी